

## न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी- सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या:- 139/2022 धारा 73(2) न0पा0एक्ट (RCMS No.2022/147)

अमरसिंह पुत्र श्री सुक्कीराम जाति मीना निवासी हाल मधुवन कॉलोनी राजकीय महाविद्यालय के पास बार्ड नम्बर 51 गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्त

### बनाम

1. विजय कुमार मीना पुत्र काडूराम मीना निवासी उदई कलां तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर।
2. नगर परिषद गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर जरिये आयुक्त नगर परिषद गंगापुरसिटी।

.....रैस्पोजेन्टस

अपील विरुद्ध आवासीय पट्टा विलेख क्रमांक एल0डी0/जी0जी0एन0सी0/2021-22/93413 दिनांक 22.4.2022 द्वारा नगर परिषद गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर।

उपस्थिति:-

1. श्री प्रमोद कुमार उपमन वकील अपीलान्त।
2. श्री मोहनसिंह राना वकील रैस्पोजेन्ट संख्या 1।

### निर्णय

दिनांक- 26.09.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 73(2) नगर पालिका अधि0 2009 आयुक्त नगर परिषद गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर के द्वारा जारी आवासीय पट्टाविलेख आदेश क्रमांक 93413 दिनांक 22.4.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि आराजी खसरा नम्बर 5668/6449, 5669, 5670, 5672 वाकै ग्राम उदईकलां तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर में से प्लाट नम्बर 21 खसरा नम्बर 5670 क्षेत्रफल 133.33 वर्ग गज रैस्पोजेन्ट विजय कुमार मीणा के हक में पट्टाविलेख संख्या 93413 दिनांक 22.4.2022 ग्राम उदईकलां गंगापुरसिटी में जारी किया गया है। इस पट्टे के विरुद्ध उपरोक्त अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोजेन्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। वक्त बहस रैस्पोजेन्ट संख्या 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। रैस्पोजेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री मोहन सिंह राना एडवोकेट उपस्थित हुए। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि आयुक्त, नगर परिषद गंगापुर सिटी की ओर से जारी किया गया अपीलाधीन पट्टा दिनांक 22.04.2022 विधि विरुद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। वकील अपीलान्त ने सी.पी.सी की धारा 96 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसमें अपीलाधीन निर्णय के विरुद्ध अपील पेश करने

48

26-9-2023  
संभागीय आयुक्त  
भरतपुर संभाग, भरतपुर



की अनुमति चाही गई है, के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि विवादित भूमि के संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 के तहत नगर परिषद की ओर से की गई कार्यवाही के संबंध में अपीलान्त की ओर से किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं दी गई थी और न ही रैस्पोजेन्ट के पक्ष में पट्टा जारी किए जाने वाकत सहमति दी गई। इसके बावजूद नगर परिषद की ओर से अपीलान्त को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिए बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए रैस्पोजेन्ट के पक्ष में भूखण्ड संख्या 56 साईज 30x40 फुट का आवासीय पट्टा जारी किया गया है। जबकि उक्त भूखण्ड के संबंध में कोई भी विक्रय पत्र अथवा इकरारनामा अपीलान्त की ओर से रैस्पोजेन्ट संख्या 1 के हक में नहीं किया गया है। इसके अलावा जब विवादित भूखण्ड का लेआउट ही स्वीकृत नहीं है तो पट्टा किस आधार पर जारी किया गया यह भी स्पष्ट नहीं है। नगर परिषद की ओर से समस्त कार्यवाही रैस्पोजेन्ट संख्या 1 से मिलकर की गई है। विवादित भूमि जिसमें से रैस्पोजेन्ट संख्या 1 को पट्टा जारी किया गया है, वह खसरा नंबर 5670 में स्थित है। अन्य खसरा नम्बरान के साथ-साथ अपीलान्त इस खसरा नंबर का आधे हिस्से का सहखातेदार है। इसलिए अपीलाधीन भूखण्ड में अपीलान्त का हित निहित है, परन्तु नगर परिषद की ओर से उपरोक्त कार्यवाही करने से पूर्व अपीलान्त को न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। अपीलान्त की ओर से अपीलाधीन पट्टे के विरुद्ध अदालत हाजा में अपील पेश करने की अनुमति हेतु सी.पी.सी की धारा 96 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अदालत हाजा द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर की गई है।

वकील अपीलान्त ने अपील को अन्दर मियाद माने जाने हेतु बहस करते हुए तर्क दिया कि रैस्पोजेन्ट की ओर से जारी किया गया अपीलाधीन पट्टा प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य प्रभाव लिए हुए है। इस तरह के आदेश की अपील पेश करने की कोई मियाद तय नहीं है। फिर भी अपीलान्त की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन पट्टे के बारे में अपीलान्त को दिनांक 09.12.2022 को जानकारी प्राप्त होने व जानकारी प्राप्त होते ही नकल प्राप्त कर अन्दर मियाद अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। रैस्पोजेन्ट की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जो जवाब पेश किया गया है, उसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 09.12.2022 से पूर्व होने के संबंध में कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन पट्टा निरस्त किया जावे।


वकील अपीलान्त ने यह भी तर्क दिया कि रैस्पोजेन्ट को जिस खसरा नंबर में उपरोक्त पट्टा जारी किया गया है। रैस्पोजेन्ट संख्या 1 के पक्ष में रैस्पोजेन्ट संख्या 2 द्वारा खसरा नंबर 5670 में आवासीय पट्टा जारी किया गया है, जो कि मौके की स्थिति के विपरित है, क्योंकि मौके पर विवादित भूखण्ड अकृषि प्रयोजन



26-12-2023  
संभागीय आयुक्त  
भरतपुर संभाग, भरतपुर

हेतु कार्य में नहीं आकर कृषि कार्य हेतु काम में आ रहा है। रैस्पॉडेन्ट संख्या 2 नगर परिषद की ओर से खसरा नंबर 5668/6449, 5669, 5670 व 5672 रकबा 1.63 है० जिसमें विवादित भूखण्ड भी शामिल है, के संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के तहत दिनांक 04.08.2016 को विधिविरुद्ध कार्यवाही की गई थी। इस आदेश के विरुद्ध अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में अपील संख्या 45/19 पेश की गई थी, जो कि अदालत हाजा में लम्बित है। इस अपील में नगर परिषद को भी पक्षकार बनाया गया है। अदालत हाजा के द्वारा नगर परिषद को विधिवत नोटिस जारी किया गया था। जिसकी तामील आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी को हो चुकी थी। नगर पालिका गंगापुर सिटी की ओर से विवादित खसरा नम्बरान के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2016 से संबंधित रिकार्ड भी अदालत हाजा द्वारा तलब किया गया था, जो कि अदालत हाजा में वर्ष 2019 में ही प्राप्त हो गया था। दिनांक 04.08.2016 को जारी किए गए आदेश के विरुद्ध अपील किए जाने की सूचना अपीलान्ट द्वारा भी रैस्पॉडेन्ट के कार्यालय में भी दी गई थी। इसके बावजूद नगर परिषद की ओर से बिना मूल रिकार्ड के रैस्पॉडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में अपीलाधीन पट्टा जारी करने में कानूनी भूल की है, जो कि स्पष्ट रूप से बहुवाद को बढ़ाने की श्रेणी में आता है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि रैस्पॉडेन्ट को नगर परिषद की ओर से दिनांक 22.04.2022 को जिस भूखण्ड के संबंध में पट्टा जारी किया गया है। उसके ले आउट स्वीकृत किए जाने के संबंध में अपीलान्ट द्वारा नगर परिषद से सूचना चाहे जाने पर पत्र क्रमांक 2305 दिनांक 24.06.2022 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि खसरा नंबर 5668/6449, 5669, 5670, 5672 का लेआउट अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। बिना ले आउट व एल.आर.एक्ट की धारा 90 ए के तहत जारी आदेश दिनांक 04.08.2016 के विरुद्ध अदालत हाजा में अपील लम्बित होने के बावजूद नगर परिषद की ओर से रैस्पॉडेन्ट के पक्ष में विवादित भूमि में से अपीलाधीन पट्टा नियम विरुद्ध जारी किया गया है, जो कि निरस्तनीय है। क्योंकि बिना ले आउट पास कराए किसी भी भूमि के संबंध में आवासीय पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। वकील अपीलान्ट ने यह भी उल्लेख किया है कि धारा 90 क के आदेश के विरुद्ध अदालत हाजा में अपील संख्या 45/19 के लम्बित होने के बावजूद रैस्पॉडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में नगर परिषद की ओर से नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है। जबकि किसी भी आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने पर इस तरह की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। वकील अपीलान्ट ने इस तर्क के समर्थन में ए.आई.आर. 2007 राजस्थान पेज 73 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि प्रकरण के लम्बित होने के दौरान किसी भी तरह का आदेश पारित किए जाने को उचित नहीं माना गया है। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से रैस्पॉडेन्ट के पक्ष में न तो कोई विक्रय पत्र करवाया गया और न ही कोई इकरारनामा ही किया गया है तथा नगर परिषद

  
 9/9/2025  
 संभागीय आयुक्त  
 भरतपुर संभाग, भरतपुर



कार्यालय में उपरोक्त पट्टे संबंधी कार्यवाही किए जाने से पूर्व ही अपीलान्त द्वारा लिखित में अवगत करवाया गया था तथा पुलिस थाने में भी एफ.आई.आर दर्ज कराई गई है, परन्तु उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर नगर परिषद की ओर से रैस्पोडेन्ट के पक्ष में गलत पट्टा जारी किया गया है।

वकील अपीलान्त ने यह भी तर्क दिया कि जिस तथाकथित इकरारनामे के आधार पर नगर परिषद की ओर से रैस्पोडेन्ट के पक्ष में अपीलाधीन पट्टा जारी किया गया है। वह इकरारनामा भी पंजीकृत नहीं है और न ही पट्टा जारी करने से पूर्व इकरारनामा के निष्पादनकर्ता को नगर परिषद की ओर से कोई नोटिस आदि ही जारी किया गया, जो कि सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 52 के प्रावधानों के विपरित है। वकील अपीलान्त ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से सी.सी.सी. 2018 (2) पेज 806 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उक्त नजीर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि इकरारनामा पंजीबद्ध होना आवश्यक है। अपंजीकृत दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राह्य माना जाना उचित नहीं है। अतः तथाकथित इकरारनामे के आधार पर रैस्पोडेन्ट के पक्ष में जारी किया गया पट्टा इस आधार पर भी अवैध व शून्य प्रभाव लिए होने के कारण निरस्तनीय है। इसके अलावा विवादित भूमि अनुसूचित जनजाति के खातेदार के नाम है, जो कि गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के नाम स्थानान्तरित नहीं की जा सकती है। इस आधार पर भी अपीलाधीन पट्टा निरस्तनीय है। इस तर्क के समर्थन में वकील अपीलान्त द्वारा आर.आर.टी 2012 (2) पेज 1280 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए अपील अपीलान्त स्वीकार कर अपीलाधीन पट्टा दिनांक 22.04.2022 को निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

वकील अपीलान्त द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित भूमि में नगर परिषद की ओर से रैस्पोडेन्ट के अलावा अन्य कई व्यक्तियों को पट्टे दिए गए हैं। जिन व्यक्तियों को नगर परिषद की ओर से पट्टे जारी किए गए हैं। उनके पक्ष में अपीलान्त व अन्य सहखातेदार की ओर से वर्ष 2012 में इकरारनामे/विक्रय पत्र निष्पादित किए गए थे। नगर परिषद की ओर से रैस्पोडेन्ट के द्वारा किए गए आवेदन के संबंध में पूर्ण तथ्यों की जांच कर विधिक प्रक्रिया अपनाने के बाद अपीलाधीन पट्टा रैस्पोडेन्ट के पक्ष में जारी किया है। जिसमें कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। अपीलान्त की ओर से अदालत हाजा में अपील पेश करने की अनुमति हेतु सी.पी.सी की धारा 96 के तहत प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र का रैस्पोडेन्ट की ओर से जवाब पेश किया गया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि अपीलान्त की ओर से विवादित भूमि का वर्ष 2012 में विक्रय कर दिए जाने के कारण उक्त भूमि में कोई हित निहित नहीं होने के कारण अपील पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। क्योंकि अपीलान्त विवादित भूमि से अपने हक 2012 में ही जरिये इकरारनामे खो चुका है। उपरोक्त प्रकरण में विवादित भूमि नगर परिषद गंगापुर सिटी के नाम रै



५९  
२६-०१-२०२५  
संभागीय आयुक्त  
भरतपुर संभाग, भरतपुर

दर्ज है तथा अपीलान्त वर्ष 2012 में ही विवादित भूमि से अपना हक छोड़ चुका है। इसलिए अपीलान्त की ओर से अपीलाधीन पट्टे के विरुद्ध अपील पेश नहीं की जा सकती। क्योंकि अपीलान्त को अपीलाधीन निर्णय से व्यथित पक्षकार नहीं कहा जा सकता। उक्त तर्क के समर्थन में वकील रैस्पोडेन्ट ने 2016 आर.बी.जे पेज 318 व 378 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए कहा कि उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार सी.पी.सी की धारा 96 के तहत ऐसे व्यक्ति को अपील पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसका कि अपीलाधीन निर्णय में कोई हित निहित नहीं हो। उपरोक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में भी अदालत हाजा द्वारा अपील पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतः उक्त आधार पर अपील अपीलान्त खारिज किए जाने योग्य है।



वकील रैस्पोडेन्ट ने मियाद संबंधी बिन्दु पर बहस करते हुए तर्क दिया कि अपीलान्त की ओर से मियाद बाहर अपील पेश की गई है। अतः मियाद संबंधी बिन्दु पर अपील खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि अपीलान्त को अपीलाधीन पट्टों के बारे में प्रारम्भ से जानकारी थी। अपीलान्त की ओर से मीमो आफ अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के प्रतिउत्तर में रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत हाजा में जवाब व शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया है। अपीलान्त की ओर से रैस्पोडेन्ट के जवाब का कोई जवाबुल जवाब पेश नहीं किया गया है। मियाद बाहर अपील पेश किए जाने पर प्रत्येक दिन का पर्याप्त व उचित कारण बताया जाना आवश्यक है। पर्याप्त व उचित कारण के अभाव में अपील को अन्दर मियाद नहीं माना जा सकता है। इस तर्क के समर्थन में वकील रैस्पोडेन्ट ने 2010 आर.बी.जे 289 व 2011 आर.बी.जे 352 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। चूंकि अपीलान्त की ओर से अपीलाधीन निर्णय के विरुद्ध अदालत हाजा में मियाद बाहर अपील पेश की गई है। अपील के साथ संलग्न दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में अपील विलम्ब से पेश करने के बारे में जो कारण बताया गया है। वह भी उचित व पर्याप्त नहीं है। इसलिए अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है।

वकील रैस्पोडेन्ट ने अपीलाधीन पट्टे के गुणावगुण के संबंध में तर्क दिया कि नगर परिषद की ओर से रैस्पोडेन्ट के पक्ष में जारी किए गए पट्टे के समय विवादित भूमि अपीलान्त की खातेदारी में नहीं होकर नगर परिषद की खातेदारी में दर्ज थी। ऐसी भूमि का पट्टा जारी किए जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी उल्लेख किया कि रैस्पोडेन्ट के पक्ष में जारी किए गए विक्रय पत्र/इकरारनामे को अपीलान्त द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। अब केवल रैस्पोडेन्ट को परेशान करने की गरज से अदालत हाजा में अपील पेश की गई है, जो कि खारिज किए जाने योग्य है। क्योंकि अपीलान्त वर्ष 2012 में किए गए इकरारनामे से विबन्धीत है। इसलिए अपीलाधीन पट्टे के विरुद्ध

489  
26.8.2024  
संभागीय आयुक्त  
भारतपुर संभाग, भारतपुर

अपील पेश नहीं कर सकता है। इस तर्क के समर्थन में वकील रैस्पोजेन्ट ने 2023 (1) डी.एन.जे (रैवन्यू) पेज 749 व 2014 (2) सी.सी.सी पेज 133 केरल पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि विवन्धन के सिद्धान्त से पाबन्द होने की स्थिति में अपील पेश किए जाने को उचित नहीं माना गया है। उक्त प्रकरण में अपीलान्त की ओर से किए गए इकरारनामों के आधार पर रैस्पोजेन्ट की ओर से पट्टे हेतु किए गए आवेदन के संबंध में पूर्ण जांच करने, रैस्पोजेन्ट की ओर से वांछित राशि जमा करवाए जाने, तकनीकी व विधिक राय प्राप्त करने, मौका रिपोर्ट लेने के बाद रैस्पोजेन्ट के पक्ष में नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। जिसमें कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है।

वकील रैस्पोजेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि नगर परिषद की ओर से रैस्पोजेन्ट के पक्ष में जारी किए गए पट्टे का उप पंजीयक गंगापुर सिटी के कार्यालय से दिनांक 27.04.2022 को पंजीयन हो चुका है। रजिस्टर्ड पट्टे को निरस्त करने का अधिकार अदालत हाजा को नहीं होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अतः इस आधार भी अपील अपीलान्त गेन्टनेवल नहीं है। वकील रैस्पोजेन्ट उक्त तर्क के समर्थन में 2021 (1) डी.एन.जे (राज) पेज 186 व 2017 (1) आर.आर.टी पेज 139 सुप्रीम कोर्ट पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला दिया। जिनमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि रजिस्टर्ड पट्टा केवल सिविल कोर्ट द्वारा ही अपारत किया जा सकता है, क्योंकि एक बार दरतावेज रजिस्टर्ड होने के बाद पंजीयन अधिनियम 1908 के अन्तर्गत कोई भी प्राधिकारी रजिस्ट्रेशन निरस्त करने हेतु प्राधिकृत नहीं है। ऐसे दरतावेज को निरस्त किए जाने हेतु सिविल न्यायालय सक्षम है। अतः उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में भी अपील अपीलान्त निरस्तनीय है।

रिव्यूटल में पुनः वकील अपीलान्त ने बहरा करते हुए तर्क दिया कि रैस्पोजेन्ट की ओर से धारा 96 सी.पी.सी के प्रार्थना पत्र का जो जवाब पेश किया गया है, उसमें वर्णित तथ्य आधारहीन हैं, क्योंकि विवादित भूमि जिसमें रैस्पोजेन्ट को पट्टा जारी किया गया है, का अपीलान्त सहखातेदार है। इसी प्रकार दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र रैस्पोजेन्ट की ओर से जो जवाब पेश किया गया है, उसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलान्त को अपीलाधीन पट्टे के बारे में प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक 09.11.2022 से पूर्व कब जानकारी हुई थी। नगर परिषद की ओर से पट्टा जारी किए जाने से पूर्व अपीलान्त को किरसी प्रकार का कोई नोटिस आदि जारी नहीं किया। इसलिए यह माना जाना कि अपीलान्त को प्रारम्भ से ही अपीलाधीन पट्टे के बारे में जानकारी थी, उचित नहीं है। अपीलान्त के द्वारा अपील को विलम्ब से पेश किए जाने का पर्याप्त व उचित कारण बताया गया है। इसके अलावा भी नगर परिषद की ओर से बिना मूल रिकार्ड के पट्टा जारी किया गया है, जो कि अवैद्य व शून्य प्रभाव लिए हुए है। इस तरह के आदेश के विरुद्ध अपील पेश किए जाने की कोई गियाद नहीं है। इसलिए वकील रैस्पोजेन्ट की ओर से प्रस्तुत नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्त उपरोक्त प्रकरण



128  
26.11.2023  
संभागीय आयुक्त  
भारतपुर संभाग, भरतपुर

पर चरप्पा नहीं होते हैं। इसके अलावा भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं कि मियाद संबंधी बिन्दु पर प्रकरण खारिज किए जाने से पूर्व प्रकरण के गुणावगुण पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्त मियाद संबंधी बिन्दु पर खारिज किए जाने की बजाय गुणावगुण पर निर्णित की जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से बहस में अपीलाधीन पट्टे के पंजीकृत होने का बताया गया है, परन्तु अपीलाधीन पट्टे संबंधी पत्रावली में रैस्पोडेन्ट के पक्ष में जारी किए गए पट्टे का उप पंजीयक कार्यालय से पंजीयन होने संबंधी कोई रिकार्ड संलग्न नहीं है। इसके अलावा भी जिस इकरारनामे के आधार पर रैस्पोडेन्ट के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, वह इकरारनामा अपीलान्त की ओर से नहीं किया गया था। इकरारनामे पर अपीलान्त के फर्जी हस्ताक्षर होने के कारण अपीलान्त की ओर से पुलिस थाने में एफ.आई.आर दर्ज करवाई हुई है। नगर परिषद की ओर से सारी कार्यवाही रैस्पोडेन्ट से मिलीभगती कर एकतरफा में की गई है। जब नगर परिषद की ओर से आर.एल.आर.एक्ट की धारा 90 क के तहत की गई कार्यवाही के संबंध में अदालत हाजा में वर्ष 2019 से अपील लम्बित थी तो उक्त कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। इसके बावजूद नगर परिषद की ओर से अपील के लम्बित रहते हुए रैस्पोडेन्ट के पक्ष में वर्ष 2022 में पट्टा जारी किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन पट्टा संख्या 93413 दिनांक 22.04.2022 निरस्त किया जावे।

अपीलान्त व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली व उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की ओर से बहस में सन्दर्भित नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अवलोकन किया गया। वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से बहस के दौरान की गई प्राथमिक आपत्ति कि अपीलान्त उक्त प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं होने के कारण अपीलाधीन पट्टे के विरुद्ध अपील पेश करने का अधिकारी नहीं होने का प्रश्न है तो अपीलान्त की ओर से अदालत हाजा में सी.पी.सी की धारा 96 के तहत मीमो आफ अपील के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर अदालत हाजा द्वारा अपीलान्त को अपीलाधीन पट्टे के विरुद्ध अपील पेश करने की अनुमति दिए जाने के आधार पर अपील अदालत हाजा में दिनांक 19.12.2022 को दर्ज की गई है। रैस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत किए गए धारा 96 के प्रार्थना पत्र का जो जवाब दिनांक 31.01.2023 को पेश किया गया है। उसमें विवादित भूखण्ड को अपीलान्त व सहखातेदार रामप्रकाश द्वारा सन् 2012 में ही विक्रय कर दिए जाने के कारण विवादित भूमि से अपीलान्त का कोई सरोकार व संबंध नहीं होने का उल्लेख किया गया है। विवादित भूखण्ड पर रैस्पोडेन्ट का स्वामित्व व आधिपत्य होने व अपीलान्त का सन् 2012 के बाद विवादित भूमि से कोई सरोकार नहीं होने तथा उसकी ओर से किए गए विक्रय



68  
16-5-2023  
संभागीय आयुक्त  
भरतपुर संभाग, भरतपुर

इकरारनामे से बाध्य होने के कारण अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं होने के कारण परिवेदित व्यक्ति नहीं होने से अपील खारिज किए जाने की इस्तदुआ की है, परन्तु विवादित भूमि जिसमें से रैस्पोडेन्ट को अपीलाधीन पट्टा जारी किया गया है, के संबंध में अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2069-72 का अपीलान्त सहखातेदार था तथा अपीलान्त की ओर से रैस्पोडेन्ट के पक्ष में किसी प्रकार का कोई इकरारनामा नहीं किए जाने का उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त को हितवद्ध पक्षकार नहीं माना जाना या अपील पेश करने की अनुमति नहीं दिया जाना उचित नहीं है। वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर 2016 आर.बी.जे पेज 318 व 378 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त उपरोक्त प्रकरण के तथ्य भिन्न होने के कारण हमारी विनम्र राय में इस प्रकरण पर चर्चा नहीं होते हैं। इसी प्रकार वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत नजीर 2023 (1) डी.एन.जे (रैवन्यू) पेज 749 व 2014 (2) सी.सी.सी 133 केरल हाईकोर्ट पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त की अपीलान्त द्वारा भूखण्डों को जरिये इकरारनाम विक्रय कर दिए जाने के कारण अपीलान्त विवन्धन के सिद्धान्त से पाबन्द होने के कारण अपील पेश नहीं कर सकता है। इस संबंध में मुम्बई न्यायालयों की ओर से प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त से हम सादर सहमत है, परन्तु उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्त की ओर से रैस्पोडेन्ट के पक्ष में किसी प्रकार का कोई इकरारनामा नहीं किए जाने व पुलिस में एफ.आई.आर दर्ज कराने का उल्लेख किया गया है व विवादित भूमि का सहखातेदार रहा है। इसलिए उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्त हमारी विनम्र राय में उक्त प्रकरण पर चर्चा नहीं होते हैं।



जहां तक अपील को मियाद बाहर मानकर खारिज किए जाने का प्रश्न है तो अपीलान्त की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 09.12.2022 को होने के कारण जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश करने का उल्लेख किया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 31.01.2023 को पेश किया है। इसमें उल्लेख किया है कि अपीलान्त को अपीलाधीन पट्टे के बारे में प्रारम्भ से ही जानकारी थी। इसके अलावा अतिरिक्त कथन में यह वर्णित किया है कि विवादित भूमि पर अपीलान्त व सहखातेदार रामप्रकाश द्वारा साइट प्लान तैयार कर सम्पूर्ण आराजी पर प्लाट काटकर विक्रय किए गए हैं। जिस पर काफी मकान बने हुए हैं। अपीलान्त द्वारा भी 3 भूखण्डों पर मकान बनाए हुए हैं। रैस्पोडेन्ट को साइट एवं लेआउट प्लान के आधार पर भूखण्ड का पट्टा दिए जाने तथा अपीलान्त व सहखातेदार की ओर से वर्ष 2012 में ही विवादित भूखण्ड का इकरारनामा रैस्पोडेन्ट के पक्ष में कर दिए जाने के कारण विवन्धन के सिद्धान्त के तहत अपीलान्त की ओर से अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं होने के आधार पर अपील को खारिज किए जाने का उल्लेख किया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब में अपीलान्त को अपीलाधीन

26/1/2023  
संभागीय आयुक्त  
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पट्टे की जानकारी प्रारम्भ से ही होने का उल्लेख किया गया है, परन्तु जवाब में यह उल्लेख नहीं किया गया कि अपीलान्त को प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक 09.12.2022 से पूर्व अपीलाधीन पट्टा जारी होने की जानकारी कौन-सी दिनांक से थी। दूसरी ओर अपीलान्त को नगर परिषद की ओर से विवादित भूखण्ड पर पट्टा जारी किए जाने से पूर्व किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी किए जाने का रिकार्ड अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली में नहीं है। इसके अलावा अपीलान्त की ओर से रैस्पोजेन्ट के पक्ष में वर्ष 2012 में किसी प्रकार का कोई इकरारनामा किए जाने से इनकार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त की ओर से मीमो आफ अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित जानकारी की तिथि पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। अतः मियाद के विन्दु के संबंध में वकील रैस्पोजेन्ट की ओर से वहस में वर्णित नजीर 2010 आर.वी.जे पेज 289 व 2011 आर.वी.जे पेज 352 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से हम सादर सहमत हैं, परन्तु उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्त की ओर से मीमो आफ अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन पट्टे की जानकारी दिनांक 09.12.2022 को होने का उल्लेख किया गया उक्त जानकारी दिनांक के विरुद्ध रैस्पोजेन्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब में केवल यह उल्लेख किया गया है कि अपीलाधीन पट्टे की जानकारी अपीलान्त को पूर्व से थी, परन्तु इसके संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे उनके कथन की पुष्टि होती हो। अतः उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्त हमारी विनम्र राय में उपरोक्त प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा नहीं होते हैं। इसलिए अपील अपीलान्त अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन पट्टे दिनांक 22.04.2022 के गुणावगुण का प्रश्न है तो यह सही है कि रैस्पोजेन्ट की ओर से नगर परिषद कार्यालय में विवादित खसरा नंबर में स्थित भूखण्ड संख्या 21 का पट्टा जारी किए जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके साथ शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, विक्रय पत्र, नजरी नक्शा, जमाबन्दी, आधार कार्ड आदि की प्रति प्रस्तुत की गई थी। इस प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद समाचार पत्र में सार्वजनिक आपत्ति विज्ञप्ति जारी की गई थी। तकनीकी अधिकारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने व विधिक सलाहकार की राय प्राप्त करने के बाद रैस्पोजेन्ट के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। अपीलाधीन पट्टे की मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संबंध में नगर पालिका गंगापुर सिटी की ओर से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के तहत कार्यवाही किए जाने के बाद नगर परिषद के पक्ष में खोले गए नामान्तकरण के आधार पर की गई है। नगर पालिका गंगापुर सिटी की ओर से किए गए आवेदन पत्र व दस्तावेजात के संबंध में जांच करने, मौका रिपोर्ट प्राप्त करने व वांछित राशि जमा कराने के बाद नगर परिषद की ओर से रैस्पोजेन्ट के पक्ष में अपीलाधीन पट्टा दिनांक 22.04.2022 को जारी किया गया है। यह सही है कि उक्त कार्यवाही नगर पालिका गंगापुर



५९  
३.१२.२०२३  
संभागीय आयुक्त  
भारतपुर संभाग, भरतपुर

सिटी की ओर से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के तहत दिनांक 04.08.2016 को जारी किए गए आदेश जिसके आधार पर विवादित भूमि का नगर परिषद के नाम नामान्तरण खोला गया है, के आधार पर की गई है। रैस्पोजेन्ट की ओर से पट्टे हेतु नगर परिषद कार्यालय में आवेदन किए जाने की दिनांक को आदेश दिनांक 04.08.2016 के विरुद्ध अदालत हाजा में अपील संख्या 45/19 लम्बित थी। नगर परिषद को रैस्पोजेन्ट के पक्ष में उपरोक्त प्रकरण के अदालत हाजा में लम्बित रहने के दौरान पट्टे जारी करने संबंधी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी, परन्तु अपीलाधीन पट्टे संबंधी मूल पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रैस्पोजेन्ट के पक्ष में जारी किए गए पट्टे को पंजीयन कराने हेतु आयुक्त, नगर परिषद गंगपुर सिटी की ओर से पत्र क्रमांक 2791 दिनांक 22.04.2022 उप पंजीयक गंगपुर सिटी को लिखा गया है। वकील रैस्पोजेन्ट की ओर से बहस के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज जिसमें रैस्पोजेन्ट के पक्ष में जारी पट्टे का दिनांक 27.04.2022 को पंजीयन हो चुका है। पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त किए जाने की क्षेत्राधिकारिता अदालत हाजा को नहीं है। जिसकी पुष्टि वकील रैस्पोजेन्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर 2021 (1) डी.एन.जे राज पेज 186 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त की रजिस्टर्ड पट्टे को जिला कलक्टर अथवा निगरानी अधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है। रजिस्टर्ड पट्टा केवल सिविल कोर्ट द्वारा ही अपास्त किया जा सकता है। इसी तरह का सिद्धान्त 2017 (1) आर.आर.टी 139 (एस.सी.) पर उद्धरित निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है कि एक बार दस्तावेज के पंजीबद्ध होने के बाद पंजीयन अधिनियम 1908 के अन्तर्गत कोई भी प्राधिकारी रजिस्ट्रेशन निरस्त करने हेतु प्राधिकृत नहीं है। अतः इस आधार पर रैस्पोजेन्ट के पक्ष में जारी पट्टे को अदालत हाजा की ओर से निरस्त किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में चूंकि रैस्पोजेन्ट के पक्ष में जारी अपीलाधीन पट्टा संख्या 93413 दिनांक 22.04.2022 उप पंजीयक गंगपुर सिटी की ओर से दिनांक 27.04.2022 को पंजीबद्ध होने व पंजीबद्ध पट्टे को निरस्त किए जाने की अदालत हाजा को क्षेत्राधिकारिता नहीं होने के कारण अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। अपीलान्त अपीलाधीन पट्टे के संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 26.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



129  
(साँवर मूलकमी)  
संभागीय आयुक्त  
भरतपुर